# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्याः– प्रार्थना पत्र संख्या 230/2018

निर्णय दिनांक :– 30.12.19

कानीराम पुत्र कुन्दनमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भानूदा बीदावतान त. रतनगढ

... प्रार्थी

बनाम

गौरीशंकर पुत्र कुन्दनमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भानूदा बीदावतान त. रतनगढ

...अप्रार्थी

उपस्थितः–

1. श्री देवेन्द्रकुमार चोटिया, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेन्द्रसिंह अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

1. प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दिनांक 23.8.2018 को प्रस्तुत किया गया।
2. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त के दो खेत ख.नं. 50 तादादी 5.6277 हैक्टेयर व ख. नं. 51 तादादी 4.6412 हैक्टेयर कुल तादादी 10.2689 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम भाणूदा चारनान तहसील रतनगढ में स्थित चली आ रही है। वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 हिस्सा अप्रार्थी का राजस्व रेकार्ड में अंकित है। ख.नं. 51 की भूमि काफी उपजाउ व समतल तथा ख.नं. 50 की भूमि उबड़ खाबड़ व रेतिली टिलो की भूमि है। वादगत दोनो खेतों में प्रार्थी का आधा – आधा हिस्सा है। आपसी सहमति एवं व्यवस्था से प्रार्थी दोनो खसरों में अगूणी ओर की भूमि काश्त करता रहा है। अप्रार्थी एक झगड़ालू एवं सबल व्यक्ति है,

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

जो मनमर्जी से अच्छी से अच्छी जमीन पर कब्जा जमाने की कुचेष्टा में है तथा प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि में सुधार व कृषि कार्य करने में नाजायज रूप से अड़चने डालता रहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उसके हिस्से तक काश्त कार्य में बाधा नही डालने व सुधार आदि करने में बाधा नही डालने व आपसी सहमति से विभाजन का दिनांक 19.8.2018 को निवेदन किया तो उसने मानने से स्पष्ट ईन्कार कर दिया तथा अपनी धमकियों को दोहराया कि मैं मेरी मनमर्जी से कब्जा करूगां और तुम्हे काश्त नही करने दूंगा। अप्रार्थी की धमकियों से प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंचित होने का व कृषि कार्यो में नाजायज बाधा उत्पन्न करने का अन्देशा उत्पन्न हो गया है। इसलिए प्रार्थी उसे दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी को दौराने दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित नही किया गया तो वो बाज नही आयेगा और प्रार्थी को अपूर्त्य क्षति होगी। प्रार्थी के 1/2 हिस्से में उसके नाजायज दखलन्दाजी किये जाने से काश्त कार्य में भारी असुविधा होगी। अतः दौराने दावा अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो खेत ख.नं. 50 तादादी 5.6277 हैक्टेयर व ख.नं. 51 तादादी 4.6412 हैक्टेयर कुल तादादी 10.2689 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम भाणूदा चारनान तहसील रतनगढ में प्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही पूर्वी ओर की भूमि में किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट नही देवे ना ही प्रार्थी को बेदखल करें व ना ही ऐसा कोई कार्य करें जिससे प्रार्थी के जायज एवं वैध अधिकारों व कृषि कार्यो पर बुरा बसर पड़े।

3. अप्रार्थी की ओर से बार बार अवसर दिये जाने बावजूद जबाब प्रस्तुत नही किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 26.12.2019 को जबाबदेही बन्द की गई।
4. बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली का भलीभातिं अवलोकन किया गया। राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से वादगत ख.नं. 50 तादादी 5.6277 हैक्टेयर व ख.नं. 51 तादादी 4.6412 हैक्टेयर कुल तादादी 10.2689 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम भाणूदा चारनान तहसील रतनगढ में प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त खातेदार है तथा प्रत्येक का 1/2 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार है तथा अप्रार्थी द्वारा उसके कब्जा काश्त व कृषि कार्यो में बाधा उत्पन्न की जा

उप खण्ड अधि

Scanned by CamScanner

रही है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी देने से अपूर्तिय क्षति भी प्रार्थी को होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी गौरीशंकर को दावा के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वर्जित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख.नं. 50 तादादी 5.6277 हैक्टेयर व ख.नं. 51 तादादी 4.6412 हैक्टेयर कुल तादादी 10.2689 हैक्टेयर भूमि रोही ग्राम भाणूदा चारनान तहसील रतनगढ में प्रार्थी के 1/2 हिस्से की भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त एवं कृषि कार्यो में किसी प्रकार से दखलन्दाजी देवे।

आदेश आज दिनांक 30.12.19 को खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.01.02 13:29:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: